नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी भूमि की आराजी सं. 290 रकबा 1.0497 हैक्टेयर ग्राम कुंवाला (माण्डल) पटवार हल्का कुंवाला (माण्डल) तहसील माण्डल मे स्थित है, उक्त भूमि मे आवागमन एंव कृषि यंत्र व कृषि उपज को लाने ले जाने हेतु विपक्षी सं. 1 व 2 की आराजी नं. 291 रकबा 1.0876 हैक्टेयर की उत्तरी पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे होकर प्रार्थी की आराजी नं. 290 रकबा 1.0497 हैक्टेयर तक आने-जाने के लिए 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीगण 1, 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान जवाब के आधार पर बताया गया कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि से मिट्टी निकालकर ईंट भट्टो वालो को बेच दी है, एंव भूमि मे करीब 2, 2, 3-3 फीट गहरे खड्डे होकर मौके पर कृषि भूमि योग्य नही रही है. एंव प्रार्थी कोई कृषि कार्य नही करता है; एंव प्रार्थी अपनी भूमि मे आने जाने हेतु शुरू से ही नर्सरी की तरफ से रास्ते से आवागमन करते आ जा रहे है। एंव सुखाधिकार का प्रावधान सिविल न्यायालय का है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट का अध्ययन किये जाने से जाहिर आया कि प्रार्थी वर्तमान मे अन्य आराजी मे से होकर आ जा रहा है। जो कि रास्ता लम्बा है। एंव मौके पर रास्ता बना हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A R.T.A खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा